मुस्लिम वैयक्तिक कानून, मुस्लिम महिलाएँ एवं लैंगिक समानता : मुस्लिम महिलाओं के अवबोधन पर आधारित एक अध्ययन

डॉ0 गिरीश चन्द्र पाण्डेय

एसो0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग, के0जी0के0 कालेज मुरादाबाद

सारांश

मुस्लिम महिलाओं की तुलनात्मक रूप से निम्न सामाजिक प्रस्थिति कुछ विशिष्ट अवसरों पर भारतीय अकादमिक जगत तथा मीडिया विमर्श के केन्द्र में आ जाती है। ऐसा ही वर्तमान में भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन तथा कुछ अन्य मुस्लिम महिलाओं द्वारा तत्काल तीन तलाक के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय से न्याय की मांग करने पर हुआ है। अधिकांश अकादमिक विमर्श में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम समुदाय की प्रतीकात्मक पहचान के रूप में विश्लेषित किया जाता है। यह शोध पत्र वर्तमान परिस्थितियों में मुस्लिम व्यैक्तिक कानून के सन्दर्भ में मुस्लिम महिलाओं के अवबोधन, जागरूकता तथा इसके उनकी सामाजिक प्रस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन लैंगिक परिप्रेक्ष्य में करता है।

मूल शब्द *– मुस्लिम वैयक्तिक कानून, इस्लाम, मुस्लिम महिला तीन तलाक, लैंगिक समानता।*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

डॉ0 गिरीश चन्द्र पाण्डेय

मुस्लिम वैयक्तिक कानून, मुस्लिम महिलाएँ एवं लैंगिक समानता : मुस्लिम महिलाओं के अवबोधन पर आधारित एक अध्ययन

शोध मंथन, जून 2018,
पेज सं0 26–33

Article No. 5
http://anubooks.com
?page_id=581

सामान्य अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि इस्लाम में महिलाओं से असमानता का व्यवहार किया जाता है, अतः मुस्लिम कानून जिसे शरियत कानून या मुस्लिम वैयक्तिक कानून के रूप में भी जाना जाता है, के अन्तर्गत लैंगिक समानता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, यद्यपि इस्लाम के अन्तर्गत इसकी महिला अनुयायियों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो दुर्भाग्यवश समाज द्वारा महिलाओं को नहीं दिए गए हैं। मुस्लिम महिलाएं वर्तमान में भारतीय समाज की अन्य महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक, दमित व त्रस्त दिखायी देती हैं। आज मुस्लिम महिलाएं कम स्वाग्रही हैं, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी तथा स्वयं को असहाय महसूस करना है। यह स्थिति न केवल उन्हें पिछड़ा, दलित व अपने समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जीवन में योगदान करने में असमर्थ बनाती है अपितु एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करती है। यह शोध पत्र मुस्लिम महिलाओं की मुस्लिम वैयक्तिक कानून के विषय में जागरूकता के स्तर, इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया तथा उनके जीवन में इसके प्रभाव की मात्रा के अध्ययन पर केन्द्रित है।

मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति के विषय में विचार करते ही, स्वाभाविक रूप से मुस्लिम वैयक्तिक कानून या 'शरियत' की ओर ध्यान आकृष्ट होता है जिसको वे जीवन का निर्देशक सिद्धान्त मानती हैं। अतः उन कारकों का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है जो कि इसके अन्तर्गत लैंगिक समानता के प्रावधानों के क्रियान्वयन में बाधा है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि सामाजिक लोकाचार धर्मग्रन्थ सम्बन्धी आदेशों को अतिरंजित करते हैं तथा अधिकांश इस्लामिक धर्मगुरू यह मानते हैं कि शरियत कानून (एम0पी0एल0) ईश्वरीय है तथा उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन सम्भव नहीं है, लेकिन वे कुछ मामलो में धर्मग्रन्थों की भ्रान्त व्याख्या तथा क्रियान्वयन के अभाव की अवहेलना करते हैं जो कि इस्लाम की मूलभावना या अभिप्राय को हानि पहुंचाने के साथ–साथ इसके अनुयायियों, विशेषकर महिला अनुयायिययों जो कि इस्लाम की मूक अनुयायी हैं के जीवन को कठिन बनाता है।

1986 में शाहबानो केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा शाहबानो को तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिये जाने के निर्णय पर तत्कालीन सरकार द्वारा मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून पारित किये जाने से मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। 2007 में भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन की नींव रखी गयी जिसने मुस्लिम महिलाओं के कुरान में दिये गये अधिकारों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक दायरे में आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन की प्रमुख मांगे मौखिक तत्काल तीन तलाक, बहुविवाह, निकाह–हलाला पर रोक तथा तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता व महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार दिया जाना है। इनके द्वारा समान नागरिक संहिता को इन समस्याओं के समाधान के रूप में नहीं देखा गया। इस आन्दोलन का मुस्लिम कट्टरपंथियों तथा आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड द्वारा विरोध किया गया। अगस्त 2017 में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय जिसमें तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक व गैरकानूनी करार दिया और इसके साथ ही केन्द्र सरकार को तत्काल तीन तलाक के निरोध के लिए समुचित कानून बनाने के लिए निर्देशित किया। जिसके प्रत्युत्तर में केन्द्र सरकार द्वारा ड्राफ्ट किया गया मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) बिल 2017

जिसमें तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है लोकसभा में पारित किया गया। इन परिवर्तनों ने मुस्लिम वैयक्तिक कानून के महिला अधिकारों से सम्बन्धित उपरोक्त मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श के केन्द्र में ला दिया।

साहित्य पुनरावलोकन

मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति पर उपलब्ध साहित्य इस समस्या को दो दृष्टिकोणों से विश्लेषण करता है– प्रथम– समाजशास्त्रीय तथा द्वितीय– कानूनी दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टि से किये गये अध्ययन धर्म की गत्यात्मकता तथा सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की प्रस्थिति का विश्लेषण करते हैं, दूसरी ओर कानूनी दृष्टि से अध्ययन करने वाले विशुद्ध कानूनी परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन का प्रयास करते हैं।

समाजशास्त्रीय अध्ययनों में शिवानी रॉय ने स्टेटस ऑफ मुस्लिम वुमन इन नार्थ इण्डिया (1979) में दो शहरों जो कि अपनी मुस्लिम पृष्ठभूमि के लिए विख्यात है– दिल्ली तथा लखनऊ का अध्ययन किया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम परिवारों में तीन पीढ़ियों में आए परिवर्तन के परिणाम तथा गुणवत्ता का अध्ययन तथा इसका महिलाओं की प्रस्थिति पर प्रभाव का मूल्यांकन करना है। यह शोध पूर्णतः अनुभावात्मक तथ्यों की सहायता से किया गया है तथा शोधकर्ता ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मुस्लिम महिलाएं धार्मिक पद्धति से नियन्त्रित होने के कारण बहुदिशात्मक प्रयास कर स्वयं को अपने परिवारों तथा अन्य स्थानों पर स्थापित करती है। इस शोध के अनुसार वर्तमान में भारत में अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप महिलाओं की प्रस्थिति में भी परिवर्तन आ रहे हैं। यह शोध मुख्य रूप से शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, परिवार, पर्दा, विवाह के प्रकार और प्रकृति, गतिशीलता की स्वतन्त्रता, परिवार तथा परिवार के बाहर स्त्री पुरूष सम्बन्धों पर विशेष रूप से केन्द्रित है।

शाहिदा लतीफ का शोध मुस्लिम वुमन इन इण्डिया : पालिटिकल एण्ड प्राइवेट रीएलिटीज : 1890–1980 (1990) मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति पर भारतीय, मुस्लिम तथा महिला होने के प्रभावों का मापन करता है। यह शोध तीन मुख्य बिन्दुओं पर केन्द्रित है – (अ) मुस्लिम महिलाएं किस सीमा तक भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों से प्रभावित है, (ब) सामान्यतः भारतीय महिलाओं की सामाजिक प्रास्थिति तथा (स) इस्लाम का प्रभाव। नौ प्रमुख शहरों में मुस्लिम महिलाओं का अध्ययन स्पष्ट करता है कि मुस्लिम महिलाओं की रूढ़िबद्ध धारणा तथा वास्तविकता में काफी असमानताएं हैं। मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका पर उनके स्वयं के अवबोधन का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि एक अल्पसंख्यक समूह में अल्पसंख्यक होने का।

एम0 मजरूद्दीन सिद्दीकी का अध्ययन वुमन इन इस्लाम (1991) यह स्पष्ट करता है कि यौन तथा पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित इस्लामिक नियम आधुनिक परिस्थितियों में भी इस्लाम के सिद्धान्तों से हटे बिना अपनाएं जा सकते हैं।

रोबियार अम्मा का अध्ययन मुस्लिम वुमन एण्ड कल्चर (1994) जो कि जॉन एस0पोबी (सम्पादित) में प्रकाशित हुआ है ने धर्म का विश्लेषण सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मे किया है। उन्होंने

कुरान तथा हदिथ के अन्तर्गत महिलाओं को दिए गए अधिकारों का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार मुस्लिम महिलाओं को इनके द्वारा स्वतन्त्रता दी गयी है।

उदारवादी एवं सैक्यूलर इस्लाम के समर्थक असगर अली इंजीनियर ने अपने अध्ययन इस्लाम, वीमन एण्ड जेण्डर जस्टिस (2001) में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का वृहद विश्लेषण किया है।

रितु मेनन तथा जोया हसन ने अपनी मौलिक कृतियों अनइक्वल सिटिजन्स : ए स्टडी आफ मुस्लिम वुमेन इन इण्डिया (2004), तथा द डायर्वसिटी आफ मुस्लिम वुमन्स लाइव्स इन इण्डिया (2005) में मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी हुई रूढ़ियों और भ्रामक धारणाओं को खण्डित किया।

निदा किरमानी ने अपने शोध पत्र डिकन्स्ट्रक्टिंग एण्ड रिकन्सट्रक्टिंग मुस्लिम वुमेन थ्रू वुमेन्स नेरेटिव (2009) में स्पष्ट किया कि अब तक के अकादमिक व मीडिया विमर्श मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा पर केन्द्रित न होकर उन्हें मुस्लिम समुदाय की पहचान मात्र के वाहक के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। इस शोध पत्र में उन्हें एक धार्मिक श्रेणी के रूप में नहीं अपितु महिलाओं के वृहद समूह के अन्तर्गत एक श्रेणी के रूप में वर्ग, क्षेत्रीयता, धर्म, शिक्षा व आयु आदि के सन्दर्भ में विश्लेषित किये जाने पर बल दिया है।

रजिया पटेल ने अपने शोध इण्डियन मुस्लिम वूमेन (2009) में मुस्लिम महिलाओं के लिये प्रगतिशील व न्यायोचित कानूनों के मुद्दे, हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों तथा मुस्लिम समुदाय के विकास और उनकी सामाजिक प्रास्थिति पर निर्भर है, यह तर्क दिया है।

नूरजहाँ सैफिया नियाज़ व जकिया सुमन ने अपने शोध सर्वेक्षण मुस्लिम वुमेन्स व्यूज ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉ (2015) में निष्कर्ष दिया कि मुस्लिम महिलाओं को कुरान में प्रदत्त अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। सर्वे में सम्मिलित अधिकांश मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम वैयक्तिक कानून में सुधार की इच्छुक थीं।

अनीता यादव ने अपने अध्ययन राइटस आफ मुस्लिम वुमेन : एन एनालिसिस आफ इण्डियन मुस्लिम पर्सनल लाज (2015) में स्पष्ट किया कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून का वर्गीकरण आवश्यक है जिससे मुस्लिम महिलाओं के विवाह, तलाक, सम्पत्ति, अधिकार, गुजारा भत्ता व बहुविवाह सम्बन्धी अधिकारों का संरक्षण हो सके।

भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणों की रिपोर्ट सीकिंग जस्टिस विदिन फेमिली : ए नेशनल स्टडी आफ मुस्लिम वुमन्स व्यूज आन रिफार्मस इन मुस्लिम पर्सनल ला (मार्च 2015) जो 4710 मुस्लिम महिलाओं के निदर्श पर किये गये सर्वेक्षण पर आधारित तथा नो मोर तलाक, तलाक, तलाक (अक्टूवर 2015) जो आठ राज्यों क्रमशः तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान से 117 मुस्लिम महिलाओं के निदर्श पर किये गये सर्वेक्षण पर आधारित हैं, ने निष्कर्ष निकाला कि बहुसंख्यक मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पर्सनल ला में परिवर्तन चाहती हैं और 83% महिलाएं मुस्लिम पर्सनल ला का कोडिफिकेशन चाहती हैं।

ज्योति पुनवानी ने अपने अध्ययन मुस्लिम वुमेन : हिस्टोरिक डिमांड फार चेन्ज (2016) में यह स्पष्ट किया है कि शाहबानों केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मुस्लिम वैयक्तिक कानून

में बदलाव पर राष्ट्रीय विमर्श प्रारम्भ हुआ था जिसे तत्कालीन केन्द्र सरकार के निर्णय ने नेपथ्य में डाल दिया। वर्तमान में तत्काल तीन तलाक की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय विमर्श को दिशा देने में मुस्लिम महिलाओं तथा उनके संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन उलेमाओं तथा आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

प्रस्तुत अध्ययन में समस्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण लैगिंक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है।

उद्देश्य

प्रस्तावित अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
2. मुस्लिम महिलाओं में मुस्लिम वैयक्तिक कानून (एम0पी0एल0) के बारे में जागरूकता का अध्ययन।
3. मुस्लिम वैयक्तिक कानून के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन।
4. मुस्लिम वैयक्तिक कानून में महिला अधिकारों के प्रावधानों का अध्ययन।

उपकल्पना

प्रस्तावित अध्ययन निम्न उपकल्पनाओं का परीक्षण करेगा।

1. मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर न्यून होने के कारण उनकी सामाजिक प्रस्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न है।
2. मुस्लिम वैयक्तिक कानून महिला एवं पुरूषों को समान अधिकार प्रदान करता है।
3. निम्न व मध्य वर्ग की मुस्लिम महिलाओं में उत्तराधिकार से सम्बन्धित कानूनों की जागरूकता का स्तर निम्न है।

पद्धतिशास्त्र

प्रस्तुत अध्ययन के लिए प्राथमिक तथ्यों का संकलन मुरादाबाद नगर में जनवरी–मार्च 2018 के मध्य किया गया जिसके लिए निदर्श का चयन उद्देश्यपरक पद्धतिशास्त्र के आधार पर करते हुए 75 मुस्लिम महिलाओं को विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों से चयनित किया गया। तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

- **उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि :**
  निदर्श में 15 (20%) महिलाएं उच्च शिक्षित, 30 (40%) मेट्रिक एवं इण्टरमीडिएट 30 (40:) अशिक्षित महिलाएं थी। जबकि 25 (33.33%) उच्च वर्ग से 35 (46.66%) मध्यम वर्ग तथा 15 (20%) निम्न वर्ग से सम्बन्धित थी।
- **इस्लाम में महिलाओं के अधिकार :**
  अधिकांश मुस्लिम विद्वान यह मानते हैं कि इस्लाम लैगिंक समानता का समर्थक है। पवित्र कुरान के सूरा 11,228 के अनुसार पत्नि को भी पति के समान अधिकार प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछे जाने पर 40 (53.33%) महिलाओं ने इस्लाम में महिलाओं को समानता के अधिकार होना स्वीकार किया लेकिन उन अधिकारों के विषय

में विस्तृत जानकारी का अभाव था। 35 (46.66%) महिलाओं ने महिला अधिकारों पर उत्तर नहीं दिया और परिवार में पुरूषों पर जानकारी के लिए निर्भरता दर्शायी।

- **मुस्लिम वैयक्तिक कानून के विषय में जागरूकता :**
  47 (62.66%) महिलाओं को मुस्लिम वैयक्तिक कानून का ज्ञान नहीं था। उनकी जानकारी नहीं होने का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी कम भागीदारी थी। उच्च शिक्षित 15 (20%) महिलाओं को भी मुस्लिम वैयक्तिक कानून के इतिहास व स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी।

- **तत्काल तीन तलाक :**
  अधिकांश उत्तरदाताओं ने प्रचलित तीन तलाक को गम्भीर समस्या व कुप्रथा बताया। साथ ही इससे महिलाओं के जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि पवित्र कुरान में तत्काल तलाक का प्रावधान नहीं है। इसके विरूद्ध पारित नये कानून का उन्होने समर्थन किया तथा इसमें सजा के प्रावधान को भी सही बताया। यद्यपि इन महिलाओं ने समान नागरिक संहिता को इस समस्या का समाधान नहीं माना। पत्नी की अनुपस्थिति में टेलीफोन, एस0एम0एस0, मेल तथा वाहटसअप पर दिये जा रहे तलाक को गैर इस्लामी बताते हुए इसके प्रति असहमति व्यक्त की। 31 (41.33%) महिलाओं ने यह जानकारी होना दर्शाया कि किसी भी अन्य मुस्लिम देश में तत्काल तीन तलाक प्रथा प्रचलन में नहीं है तथा उन्होंने तत्काल तीन तलाक के लिए मौलवियों को भी उत्तरदायी माना जो इसे सामाजिक मान्यता प्रदान करते हैं। 3 (4%:) महिलाओं ने तीन तलाक को पुरूषों को अल्लाह द्वारा प्रदत्त अधिकार बताया।

बहुविवाह

अधिकांश उत्तरदाता महिलाओं ने इस्लाम में पुरूषों को प्रदत्त बहुविवाह के अधिकार को अनुचित बताते हुए इसे महिलाओं के अधिकार का विरोधी बताया। साथ ही बहुविवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त किये जाने का समर्थन किया। यद्यपि उत्तरदाताओं में बहुविवाह का कोई प्रकरण नहीं था किन्तु उन्होंने मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की दृर्दशा, निम्न सामाजिक प्रस्थिति एवं पिछड़ेपन को दूर करने के लिये बहुविवाह की समाप्ति के लिए कठोर कानून बनाये जाने का समर्थन किया। अधिकांश उत्तरदाता जिसमें अशिक्षित महिलाएं भी सम्मिलित हैं बहुविवाह से असुरक्षित थी क्योंकि उनका मत था कि इससे मामूली कहासुनी पर भी तीन तलाक की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि यह पुरूषों को अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुविवाह के संवैधानिकता के परीक्षण पर सहमति जतायी।

गुजारा–भत्ता और शाहबानों केस

शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरान्त मुस्लिम वैयक्तिक कानून में आये परिवर्तन को शून्य करने के लिए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून 1986 लाया गया जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम महिलाओं को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 125 में प्रदत्त गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया तथा तलाकशुदा महिलाओं को

गुजारा भत्ता दिये जाने की जिम्मेदारी उनके परिजनों या वक्फ बोर्ड पर डाल दी गयी। मुस्लिम वैयक्तिक कानून के अनुसार तलाकशुदा महिला इद्दत की अवधि 3 माह 10 दिन तक ही गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने इस विषय में जानकारी न होना बताया। उनकी राय पूछे जाने पर कि क्या इद्दत की अवधि के बाद भी महिला को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिये तो अधिकांश ने इसे इस्लाम विरोधी बताया और कहा कि इससे धर्म को हानि होगी। 19 (25.33%) महिलाओं ने गुजारा भत्ता दिया जाना उचित माना।

निकाह हलाला

अधिकांश मुस्लिम विद्वानों का मत है कि निकाह हलाला का उद्देश्य तुच्छ कारणों पर तलाक न होने देना है क्योंकि इसके अन्तर्गत कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी तलाक दी गयी पत्नी से तब तक पुर्नविवाह नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सम्बन्ध बना ले तथा तलाक लेकर इद्दत की अवधि पूर्ण न कर ले। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला की संवैधानिकता का परीक्षण चल रहा है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने निकाह हलाला को महिलाओं के विरूद्ध एक घृणित प्रथा बताया जो लैगिंक असमानता में वृद्धि करती है। अतः इसे पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए। 9 (12%) महिलाओं ने इस प्रश्न का उत्तर न देते हुए जानकारी का अभाव दर्शाया।

सम्पत्ति का अधिकार

भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन की एक मांग यह भी है कि मुस्लिम महिलाओं को पुरूषों के समान पैतृक सम्पत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में अधिकांश महिलाओं ने सकारात्मक उत्तर देते हुए इसे महिलाओं का अधिकार माना जबकि 11 (14.66%) ने नकारात्मक उत्तर दिया। सामान्यतः भारतीय समाज में पुत्रों को माता–पिता के वृद्धावस्था का सहारा समझा जाता है। अतः माना जा सकता है कि इसी कारण मुस्लिम समुदाय में भी व्यावहारिक रूप से बेटी के विवाह पर खर्च करना सम्पत्ति पर अधिकार देने से बेहतर माना जाता है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के लिए संकलित प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक व आर्थिक स्तर न्यून होने तथा सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कम होने के कारण उनकी सामाजिक प्रस्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न है। निम्न एवं मध्यम वर्ग की मुस्लिम महिलाओं में मुस्लिम वैयक्तिक कानून में उन्हें प्रदत्त अधिकारों तथा उत्तराधिकार से सम्बन्धित कानूनो की जानकारी काफी कम है। उत्तरदाताओं की धारणा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून महिला और पुरूषों को समान अधिकार प्रदान नहीं करता। भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार व न्याय दिलाने के लिए निरन्तर सकारात्मक भूमिका में दिखायी देता है।

सन्दर्भ

1. असगर अली इंजीनियर (संपा) इस्लाम, *वीमन एण्ड जेन्डर जस्टिस,* ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001 ।

2. अम्मा, रोबियार, *मुस्लिम वीमन एंड कलचर*, इन जौन एस0 पोबी (संपा0) कल्चर, वीमन एण्ड थियॉलजी आई0एस0, पी0सी0के0, दिल्ली, 1994 ।
3. शिवानी राय, *स्टेट्स ऑफ मुस्लिम वुमन इन नार्थ इण्डिया*, 1979.
4. शहिदा लतीफ, *मुस्लिम वुमन इन इण्डिया : पालिटिकल एण्ड प्राइवेट रीएलिटीज* 188ò–198ò (1990), काली फार वूमेन नई दिल्ली ।
5. एम0 मजरूद्दीन सिद्दीकी, *वुमन इन इस्लाम*, 1991
6. अनीता यादव, *राइट्स आफ मुस्लिम वूमेन : एन एनालिसिस आफ इण्डियन मुस्लिम पर्सनल लाज* लखनऊ, 2015.
7. निदा किरमानी, *डिकन्सट्रक्टिंग एण्ड रिकन्सट्रक्टिंग मुस्लिम वूमेन थ्रू वुमेन्स नेरेटिव*, जनरल आफ जेंडर स्टडीज, 18 (2009).
8. नूरजहां सैफिया नियाज, जकिया सुमन, *मुस्लिम वूमेन्स व्यूज आन मुस्लिम पर्सनल ला*, इ0पी0डब्ल्यू0 50 (51) 2015.
9. ज्योति पुनवानी, मुस्लिम वुमेन : *हिस्टोरिक डिमांड फार चेंज*, ई0पी0डब्लू0 51 (42), 2016.
10. रजिया पटेल, इण्डियन मुस्लिम वुमेन : *हिस्टोरिक डिमांड फार चेंज*, ई0पी0डब्लू0 ग्स्प्ट (44), 2009.
11. बी0एम0एम0ए0 रिपोर्ट, *सीकिंग जस्टिस विदिन फेमिली : ए नेशनल स्टडी आफ मुस्लिम वुमन्स व्यूज आन रिफार्मस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ*, मार्च 2015, मुम्बई ।
12. बी0एम0एम0ए0 रिपोर्ट : *नो मोर तलाक, तलाक, तलाक*, अक्टूवर 2015, मुम्बई ।
13. रितु मेनन तथा जोया हसन, *अनइक्वल सिटीजन्स : ए स्टडी आफ मुस्लिम वुमेन इन इण्डिया*, 2004, ओ0यू0पी0, नई दिल्ली ।
14. रितु मेनन तथा जोया हसन, *द डायवर्सिटी आफ मुस्लिम इन इण्डिया*, 2005, ओ0यू0पी0, नई दिल्ली ।